DAINIK BHASKAR, Kota, 25.12.2020
Page No. 2, Size:(27.13)cms X (7.49)cms.

मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दैनिक भास्कर की खबरों की कटिंग भी लगाई, चिकित्सा शिक्षा सचिव ने भी वि

मानवाधिकार आयोग का सुझाव-जेकेलोन में पांच गुना वॉर्मर व 200 बेड

हैल्थ रिपोर्टर | कोटा

जेकेलोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें कई अहम सुझाव दिए गए हैं। रिपोर्ट के साथ भास्कर की खबरों की कटिंग्स भी लगाई गई हैं।

मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष जस्टिस महेशचंद्र शर्मा के निर्देश पर 14 दिसंबर को सचिव बीएल मीणा व रजिस्ट्रार ओमी पुरोहित कोटा आए थे और अस्पताल का निरीक्षण करके अधिकारियों की मीटिंग ली थी। कोटा आए सचिव व रजिस्ट्रार ने आयोग अध्यक्ष को सौंपी रिपोर्ट में कहा कि बच्चों की मौतों के लिए कलेक्टर व संभागीय आयुक्त को अलग से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट देने को कहा है, ऐसे में मौतों के कारणों संबंधी रिपोर्ट लंबित है। लेकिन आयोग ने तथ्यात्मक स्थिति और निरीक्षण समेत अन्य बिंदुओं के आधार पर आयोग ने कुछ कमियां चिह्नित की है, जिन्हें लेकर सरकार से 18 बिंदुओं पर अनुशंसा करने का सुझाव दिया गया है।

गालरिया बोले- अस्पताल को मिलेंगी 50-50 लाख की दो एडवांस एंबुलेंस

चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने गुरुवार को जेकेलोन का जायजा लिया और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रिंसिपल व अधीक्षक को निर्देश दिए। गालरिया ने एनआईसीयू समेत शिशु रोग विभाग के सभी वार्ड देखे। एनआईसीयू के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि तीमारदार अंदर जाए तो पहले वॉश करने की व्यवस्था हो, ताकि संक्रमण की आशंका न्यूनतम रहे। उन्होंने मरीजों से फीडबैक लिया।

अधिकारियों की मीटिंग भी ली, जिसमें अतिरिक्त प्राचार्य एसएमएस मेडिकल कॉलेज डॉ. अमरदीप और डॉ. रश्मि भी थे। बैठक में मेडिकल कॉलेज कोटा के प्रिंसिपल डॉ. विजय सरदाना, आरएनटी के प्रिंसिपल डॉ. लाखन पोसवाल, आदि मौजूद थे। गालरिया ने नए प्रस्तावों पर भी चर्चा के साथ ही शिशुओं की मौतों को कम करने के लिए फुलप्रूफ प्लान बनाने को कहा। वे कोविड हॉस्पिटल भी गए। गालरिया ने बताया कि रेफर होने वाले शिशुओं को एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस की जरूरत होती है। 50-50 लाख में ऐसी दो एंबुलेंस खरीदी जाएंगी। हमने 32 बेड नर्सरी के बढ़ा दिए हैं। इसको और बढ़ाने के लिए प्रयास जारी है। 40 बेड की नर्सरी के लिए एक-दो दिन में परमिशन मिल जाएगी। गालरिया ने कहा कि नया आईपीडी ब्लॉक बनाया जा रहा है, नए स्टाफ को ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। पोस्ट नेटल वार्ड में भर्ती शिशुओं का भी ध्यान रखा जाएगा।

मानवा

- संभाग के ह
के लिए अल
- अस्पताल मे
200 तक ब
- इनडोर ब्लॉ
स्थान चिह्नित
5 गुना बढ़ाए
- जरूरत से
रखे जाएं, ता
उसे रिप्लेस
- ड्यूटी स्टाफ

I NEXT, Dehradun, 25.12.2020
Page No. 5, Size:(14.83)cms X (15.04)cms.

फुटपाथ पर एनक्रोचमेंट, पुलिस को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

फुटपाथ पर सजी दुकानों से ट्रैफिक में बाधा का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

तीन मामलों में एसपी ट्रैफिक से किया गया है जवाब-तलब

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (24 Dec): फुटपाथ पर सजी दुकानों और उससे ट्रैफिक में पहुंच रही बाधा का संज्ञान मानवाधिकार आयोग ने लिया है. कुल तीन प्रकरण में मानवाधिकार आयोग के सदस्य अखिलेश चंद्र शर्मा व राम सिंह मीणा ने पुलिस को नोटिस जारी किया है. इसमें एक मामले में पुलिस पर गलत रिपोर्ट देने का भी आरोप लगाया गया है, जिस पर आयोग ने पुलिस अधीक्षक यातायात का जवाब-तलब किया है.

रेस्टोरेंट का फुटपाथ पर कब्जा

गलत रिपोर्ट देने के आरोप का मामला धर्मपुर सब्जी मंडी के पास चिलीज रेस्तरां से संबंधित है. आरटीआई व मानवाधिकार कार्यकर्त्ता भूपेंद्र कुमार ने आयोग को बताया कि रेस्तरां का फुटपाथ पर कब्जा अभी भी बरकरार है और वाहन भी यहां बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं. प्रकरण पर सुनवाई करते हुए आयोग ने पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक को नोटिस जारी कर 10 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. दूसरे मामले में आरटीआई क्लब के महासचिव एएस धुंता ने आयोग को भेजी कंप्लेन में कहा है कि राजपुर रोड पर पैसिफिक मॉल के बाहर रस्सी लगाकर फुटपाथ को कब्जे में लिया गया है. इस प्रकरण में आयोग सदस्य अखिलेश चंद्र शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर निर्देश दिए हैं कि फुटपाथ पर किए गए कब्जे को लेकर कार्रवाई की जाए. इस मामले में 18 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है. वहीं, तीसरा मामला नेहरू कॉलोनी में फास्ट फूड आदि से संबंधित प्रतिष्ठान हॉट ड्राइव का है. इस मामले में शिकायतकर्त्ता ने कहा है कि शाम के समय प्रतिष्ठान के आसपास वाहनों का जमावड़ा रहता है.